

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.69/2024

RBE No.64/2024

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/2/2024 (Com.No.260300)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:-Waiver of recovery of excess payment made to Government employees-General Instructions-reg.

संदर्भ:-Railway Board's letter No.-2024/F(E)II/6/3, Dated-15.07.2024.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally Signed by Manoj
Ku Choudhary

Date: 18-07-2024 12:39:53

Reason: Approved
(एम.के.चौधरी)
सकाधि/ई.एस.एम.
कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी. एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

R.B.E. No.- 64/2024
New Delhi, Dated 15.07.2024.

No. 2024/F(E)II/6/3

The General Manager,
All Indian Railways and Production Units incl. RDSO
(As per Standard Mailing List).

Sub: Waiver of recovery of excess payment made to Government employees-General Instructions-reg.

Ref: D/o Expenditure's OM No. 01(14)2016-E.II(A) (Part-III) dated 01.04.2024.

The undersigned is directed to refer to the following Instructions/Guidelines on the above subject issued by DoP&T /Department of Expenditure and subsequently adopted/circulated by Ministry of Railways (Railway Board):-

S.N.	Details of OM of DoP&T/ Department of Expenditure	Corresponding letters of Ministry of Railways	Subject
(i)	DoP&T's OM No. 18/26/2011- Estt(Pay-I) dated 06.02.2014	Board's letter No. 2016/F(E)II/6/3 dated 22.06.2016	Recovery of wrongful/ excess payments made to Government servants.
(ii)	DoP&T's OM No. 18/03/2015- Estt(Pay-I) dated 02.03.2016		
(iii)	DoP&T's OM No. 18/03/2015- Estt(Pay-I) dated 03.10.2022	Board's letter No. 2022/F(E)II/6/3 dated 17.11.2022	
(iv)	D/o Expenditure's OM No. 09(20)/2023-E.II(A) dated 01.06.2023	Board's letter No. 2022/F(E)II/6/3 dated 24.07.2023	Waiver of recovery of excess payment made to Government Servants -General Instructions for Ministries/ Departments.

2. In this regard, date of order for recovery of overpayment is a critical input for decision regarding waiver of such recovery. Therefore, such order for recovery of overpayment should be issued within one month from the date of detection of overpayment.

3. Department of Expenditure, Ministry of Finance vide their OM No. 01(14)/2016-E.II(A)(Part-III) dated 01.04.2024, has directed that cases involving waiver of recovery of more than Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh only) should be referred to Department of Expenditure, Ministry of Finance.

4. It has, therefore, been decided that Ministry of Railways (Railway Board) may waive recovery of overpayment upto Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakh only) in the case of each individual with the concurrence of Member Finance, Railway Board and approval of Chairman & CEO, Railway Board and the proposal(s) for waiver of recovery of amount greater than Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakh only) shall continue to be referred to the D/o Expenditure, Ministry of Finance with the concurrence of Member/Finance, Railway Board and approval of Chairman & CEO, Railway Board. All the proposal(s) have to be forwarded only with the concurrence of PFA and approval of General Manager.

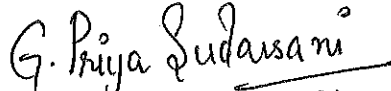
Contd...2/-

5. The following guidelines may be adhered to while processing such cases:-

- i. Railways should examine all proposal(s) in terms of the Instructions/Guidelines on recovery of wrongful/excess payments made to Government Servants cited in Para 1 above.
- ii. Railways should verify that in cases of waiver, no serious negligence has taken place on the part of any Railway servant, which may call for disciplinary action by a higher authority.
- iii. In case the Railway is of the view that the loss is on account of a defect in existing rules or procedures, the same shall be brought to the notice of Ministry of Railways (Railway Board) for seeking amendment of such rules or procedures with justification.
- iv. The guidelines issued by DoP&T vide its O.M.18/03/2015- Estt. (Pay-I) dated 02.03.2016 (circulated vide Board's letter no. 2016/F(E)II/6/3 dated 22.6.2016) shall be strictly adhered to while considering waiver of excess payment made to Railway servants. Each case of waiver should be concurred by Member/Finance, Railway Board and approved by Chairman & CEO, Railway Board.
- v. In cases where the waiver of recovery arises from a Court direction, Ministry of Railways (Railway Board)/Railways, wherever the authority lies, should satisfy themselves that there are appropriate justifications for not challenging such Court direction.
- vi. In case a recovery which is subsequently waived, is on account of incorrect interpretation of rules or procedures, Railways may review all similarly placed cases to check requirement of waiver of recovery in future cases. In case of incorrect interpretation of rules or procedures, Railways shall take appropriate measures to ensure that such lapses are corrected. If any inquiry has been made to fix the responsibility, the final report as well as action taken by the Ministry of Railways (Railway Board) may be kept on record.
- vii. In case an incorrect interpretation of rules or procedures(e.g., incorrect pay fixation) has remained un-detected over a long period of time, Railways may keep on record appropriate justification why such cases were not noticed during regular review, internal audit, etc.

6. In view of the above, all cases involving waiver of recovery may be forwarded to Ministry of Railways (Railway Board) with the concurrence of PFA and approval of General Manager along with a detailed note covering information on para 5 above along with the filled in checklist (Attached as Annexure).

7. Please acknowledge receipt.


(G. Priya Sudarsani)
Director/Finance (Estt.)
Railway Board

DA: as above.

No. 2024/F(E)II/6/3

New Delhi, Dated 5.07.2024.

Contd...3/-

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi.

G. Priya Sudarani
For Member (Finance), Railway Board.

No. 2024/F(E)II/6/3

New Delhi, Dated/5.07.2024.

Copy forwarded to Principal Financial Adviser, All Indian Railways and Production Units etc.

No. 2024/F(E)II/6/3

New Delhi, Dated/5.07.2024.

1. The G.M, N.F Railway (Const.), Southern Railway (Const.) and Central Railway (Const.)
2. PFA, N.F. Railway (Const.), Central Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. The Director General and Ex-officio General Manager, RDSO/ Lucknow.
4. The General Manager and PFA, Metro Railway/Kolkata.
5. The CAO and PFA, COFMOW/New Delhi.
6. The General Manager and PFA, CORE/Allahabad.
7. The Director General, Railway Staff College/Vadodara.
8. The CAO(Const.), MTP (R) / Mumbai.
9. The CAO(Const.), MTP(R) /Chennai.
10. The Executive Director, CAMTECH/Gwalior-474020.
11. The Chairman, RCT/Principal Bench, 13/15, Mall Road, Delhi.
12. The Chairman,RRT, Chennai - 600008.
13. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad.
14. The Managing Director, IRCON, IRFC, MRVC, IRWO, IRC&TC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS.
15. The Chairman –cum-Managing Director, KRC Limited, Rail Bhavan, New Delhi, Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/ New Delhi.
16. The Director(Movement) Railways/Kolkata.
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence.
18. The Joint Secretary, Iron & Steel, 3 Koilaghat Street/Kolkata.
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad, Bihar.
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi.
21. The Chairman,RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur,Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad, and Trivandrum.
22. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways(Railway Board).
23. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
24. The Chief Commissioner of Railway Safety/Lucknow.
25. The Editor, " Bharatiya Rail".
26. The Editor " Indian Railways".
27. Chairman, RITES.
28. Chairman, CAT.
29. Computerised Facilitation Counter, Room No.5, Near Gate No.1, Rail Bhavan, New Delhi.

30. The Managing Director, Rail Vikas Nigam Ltd., Plot No. 25, First Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110 066.
31. CAO(C), SEC Railway, Bilaspur-495004.
32. The CAO, RCF, Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7.
33. The Executive Director/ERP, Railway Board, Room No. 339A, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi.

Copy forwarded to:

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhavan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi.



For Principal Executive Director (IR) /Railway Board.

No. 2024/F(E)II/6/3

New Delhi, Dated/5.07.2024.

1. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi.
2. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
3. The President, Railway Board Class-II Officers' Association, Rail Bhavan, New Delhi.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan.
5. The President, Indian Railway Class II Officers' Association, Rail Nilayam, Secunderabad.
6. General Secretary, Indian Railway Class II Officers Federation, Office of CE(Const.), N.E.Railway, Gorakhpur.
7. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The General Secretary, All India RPF Association, Rail Bhavan, New Delhi.
10. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Rail Bhavan, New Delhi - 110001.

Copy to:- Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Additional PS/MR, Sr.PPSs/PPSs/PSs to: Chairman & CEO, Railway Board, Member (Finance) Railway Board, Member Operation & Business Development (O&BD), Member Traction and Rolling Stock, Member Infra, DG(HR), DG(RHS), DG(RPF), All AMs/ PEDs/ EDs/ Directors, IG/RPF, IG/RPSF, JS, JS(G), JS(E), JS(P), JDE(N), JDE(P&A), JDE(L), JDE(W), DS(G), DDF(E)I, DDF(E)III, DDE(LR)I, DDE(LR)-II, DDE(Rep), US(Protocol) and DDE(R)II.

Copy to: Cash-I, II & III, E(P&A)I & II, E(G), Budget, PG, PC-IV, V, & PC VI, G(Acc.), F(E)I, F(E)III & F(E)Spl., O&M, E(Trg.), E(GR)I, E(GR)II, Sec.(E), Sec.(Spl.), Protocol Cell, ERB-I, II, III, IV, E(O)I, II, III, E(GP), E(GC), Accounts-III, Code Revision Cell, E(Rep) & C&IS Branches, Railway Board.

Checklist for waiver of recovery

S.No.	Item	Remarks
1.	Name	
2.	Designation	
3.	Amount of waiver	
4.	Reason for overpayment	
5.	Date of Detection of Overpayment	
6.	Date of issue of order of recovery	
7.	Date of representation submitted by Officer/Official mentioning financial hardship	
8.	Date of disposal of Representation and decision taken on the same	
9.	Category of exemption as per DoP&T's OM dated 2.3.2016 (circulated vide Board's letter no. 2016/F(E)II/6/3 dated 22.6.2016)	
10.	Relevant Rules under which pay fixation or allowance drawn resulted to overpayment	
11.	Whether the Railway is satisfied that loss does not disclose a defect in rules or procedures or there has not been any serious negligence on the part of any Railway servant which may call for disciplinary action by a higher authority.	
12.	Whether verification of Service Book have been done periodically. If yes, why such wrong fixation was not detected in such verification.	
13.	Why such wrong fixation was not detected during internal audit.	

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आर.बी.ई.सं.- 64/2024

सं. 2024/एफ(ई)II/6/3

नई दिल्ली, दिनांक 15.07.2024.

महाप्रबंधक,

आरडीएसओ सहित सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)।

विषय: सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली का अधित्याग - सामान्य अनुदेश
- के संबंध में।

संदर्भ: व्यय विभाग का दिनांक 01.04.2024 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 01(14)2016-ई.II(ए)
(पार्ट-III)

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/व्यय विभाग द्वारा जारी
और तत्पश्चात रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अपनाए गए/परिपत्रित निम्नलिखित
अनुदेशों/दिशानिर्देशों का संदर्भ लेने का निर्देश दिया जाता है:

क्र.सं.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन का ब्यौरा	रेल मंत्रालय के संबंधित पत्र	विषय
(i)	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 06.02.2014 का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/26/2011-स्था.(पे-I)	बोर्ड का दिनांक 22.06.2016 का पत्र संख्या. 2016/एफ(ई)II/6/3	सरकारी कर्मचारियों को किए गए गलत/अधिक भुगतान की वसूली।
(ii)	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 02.03.2016 का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/03/2015-स्था.(पे-I)		
(iii)	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 03.10.2022 का कार्यालय ज्ञापन सं. 18/03/2015-स्था.(पे-I)		
(iv)	व्यय विभाग का दिनांक 01.06.2023 का कार्यालय ज्ञापन सं. 09(20)/2023-ई.II(ए)	बोर्ड का दिनांक 24.07.2023 का पत्र संख्या 2022/एफ(ई)II/6/3	सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली का अधित्याग- मंत्रालयों/विभागों के लिए सामान्य अनुदेश

2. इस संबंध में, अधिक भुगतान की वसूली के लिए आदेश की तिथि ऐसी वसूली के अधित्याग के संबंध में निर्णय के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इसलिए, अधिक भुगतान की वसूली के लिए ऐसे आदेश, अधिक भुगतान का पता लगाने की तिथि से एक महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

प्रमोद : ... 2/-

3. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2024 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 01(14)/2016-ई.॥(ए)(पार्ट-III) के माध्यम से निर्देश दिया है कि 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) से अधिक की वसूली के अधित्याग वाले मामलों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

4. अतः, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले में 2,00,000 रुपये (केवल दो लाख रुपये) तक के अधिक भुगतान की वसूली को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड की सहमति और अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से माफ कर सकता है एवं 2,00,000 रुपये (केवल दो लाख रुपये) से अधिक की वसूली की माफी के प्रस्ताव को सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड की सहमति और अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा जाना जारी रहेगा। सभी प्रस्ताव/प्रस्तावों को प्रधान वित्त सलाहकार की सहमति और महाप्रबंधक के अनुमोदन से ही अंग्रेषित किया जाए।

5. ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए:-

- i. सरकारी कर्मचारियों को किये गये गलत/अधिक भुगतान की वसूली संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच, रेलवे को उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अनुदेशों/दिशानिर्देशों के संदर्भ में करनी चाहिए।
- ii. रेलवे को यह सत्यापित करना चाहिए कि अधित्याग के मामलों में, किसी भी रेल कर्मचारी की ओर से कोई गंभीर लापरवाही नहीं हुई है, जिसके लिए उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- iii. यदि रेलवे का यह विचार है कि नुकसान मौजूदा नियमों या प्रक्रियाओं में किसी कमी के कारण हुआ है, तो ऐसे नियमों या प्रक्रियाओं में संशोधन की मांग करने हेतु मामले को औचित्य के साथ रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के संज्ञान में लाया जाएगा।
- iv. रेल सेवकों को किए गए अधिक भुगतान के अधित्याग पर विचार करते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 02.03.2016 के कार्यालय ज्ञापन 18/03/2015-स्था.(पे-I) के तहत जारी दिशा-निर्देश (बोर्ड के दिनांक 22.06.2016 के पत्र संख्या 2016/एफ(ई)॥/6/3 के तहत परिपत्रित) का कड़ाई से पालन किया जाए। अधित्याग के प्रत्येक मामले को सदस्य/वित्त, रेलवे बोर्ड द्वारा सहमति दी जानी चाहिए और अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- v. ऐसे मामलों में जहां वसूली का अधित्याग न्यायालय के निर्देश से उत्पन्न हो, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)/रेलवे, जहां कहीं भी प्राधिकार निहित है, को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसे न्यायालय के निर्देश को चुनौती नहीं देने का उचित औचित्य है।
- vi. यदि कोई वसूली, जिसका बाद में अधित्याग किया जाता है, जो नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के कारण होती हो, तो रेलवे, भविष्य के मामलों में वसूली के अधित्याग की आवश्यकता की जांच करने के लिए इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है। नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के मामले में, रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा कि ऐसी खामियों को ठीक किया जाए। यदि जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई जांच की गई है, तो अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा की गई कार्रवाई को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।

vii. यदि नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या (जैसे, गलत वेतन निर्धारण) का लंबे समय तक पता नहीं चला है, तो रेलवे, ऐसे मामले, नियमित समीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि के दौरान ध्यान में क्यों नहीं आए, इसका उचित औचित्य रिकॉर्ड में दर्ज करेगा।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वसूली के अधित्याग वाले सभी मामलों को प्रधान वित्त सलाहकार की सहमति और महाप्रबंधक के अनुमोदन के साथ-साथ भरी हुई जांच सूची (अनुलग्नक के रूप में संलग्न) के साथ उपर्युक्त पैरा 5 पर दी गई सूचना को शामिल करते हुए एक विस्तृत नोट के साथ रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को अग्रेषित किया जाए।

7. कृपया पावती दें।

जी. प्रिया सुदर्शनी
(जी. प्रिया सुदर्शनी)
निदेशक/वित्त(स्था.)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

सं.. 2024/एफ(ई)II/6/3

नई दिल्ली, दिनांक /5.07.2024.

प्रतिलिपि- भारत के उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेल), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित।

जी. प्रिया सुदर्शनी
कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

सं. 2024/एफ(ई)II/6/3

नई दिल्ली, दिनांक /5.07.2024.

प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां इत्यादि को प्रतिलिपि अग्रेषित।

सं. 2024/एफ(ई)II/6/3

नई दिल्ली, दिनांक /5.07.2024.

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे(निर्माण), दक्षिण रेलवे (निर्माण) और मध्य रेल (निर्माण)
2. प्रधान वित्त सलाहकार, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), मध्य रेल (निर्माण) और दक्षिण रेलवे (निर्माण)
3. महानिदेशक और पदेन महाप्रबंधक, आरडीएसओ/लखनऊ
4. महाप्रबंधक और प्रधान वित्त सलाहकार, मेट्रो रेल/कोलकाता.
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान वित्त सलाहकार, कॉफमो/नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक और प्रधान वित्त सलाहकार, कोर/इलाहाबाद।
7. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज/वड़ोदरा।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), एमटीपी(आर)/मुंबई।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), एमटीपी(आर)/चेन्नै।
10. कार्यपालक निदेशक, कैमटेक/ग्वालियर-474020.

कमश... 4/5

11. अध्यक्ष, आरसीटी/प्रिंसिपल बेंच, 13/15, माल रोड, दिल्ली।
12. अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नै-600008.
13. निदेशक, इरिसेन/पुणे, इरिन/नासिक रोड, इरिमी/जमालपुर और इरिसेट/सिकंदरबाद।
14. प्रबंध निदेशक, इरकॉन, आईआरएफसी, एमआरवीसी, आईआरडब्ल्यूओ आईआरसीटीसी, कॉनकोर आफ इंडिया लिमिटेड, कार्यपालक निदेशक क्रिस।
15. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, केआरसी लिमिटेड, रेल भवन, नई दिल्ली, मुख्य परियोजना प्रशासक (दूरसंचार) का कार्यालय, भारतीय रेल केंद्रीय दूरसंचार संगठन (आईआरसीओटी) परामर्श, शिवाजी ब्रिज/नई दिल्ली।
16. निदेशक (संचलन) रेलवे/कोलकाता।
17. संयुक्त निदेशक, मिल रेल, रक्षा मंत्रालय।
18. संयुक्त सचिव, लोहा और इस्पात, 3 कोइलाघाट स्ट्रीट/कोलकाता।
19. मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद, बिहार
20. अध्यक्ष, आरसीसी, लोक सभा सचिवालय/नई दिल्ली।
21. अध्यक्ष/आरआरबी अजमेर, अहमदाबाद, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद और त्रिवेन्द्रम।
22. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)।
23. जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए/नई दिल्ली।
24. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त/लखनऊ।
25. संपादक, "भारतीय रेल"।
26. संपादक "इंडियन रेलवे"।
27. अध्यक्ष, राइट्स।
28. अध्यक्ष, कैट।
29. कम्प्यूटरीकृत सुविधा काउंटर, कमरा नं. 5, गेट नंबर 1 के पास, रेल भवन, नई दिल्ली।
30. प्रबंध निदेशक, रेल विकास निगम लिमिटेड, प्लॉट नं. 25, पहली मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066.
31. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सी), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर-495004
32. सीएओ, आरसीएफ, रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7.
33. कार्यपालक निदेशक/ईआरपी, रेलवे बोर्ड, कमरा नं 339 ए, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद और विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

नवीन (Signature)
कृते कार्यपालक निदेशक (औ.सं.) रेलवे बोर्ड

1. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलायम, सिकंदराबाद।
6. जनरल सेक्रेटरी, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स फेडरेशन, सीई (निर्माण) कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
7. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय आरपीएफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेल कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली।

वसूली की छूट के लिए चेकलिस्ट

क्र.सं	मद	टिप्पणी
1.	नाम	
2.	पद	
3.	छूट की राशि	
4.	अधिक भुगतान का कारण	
5.	अधिक भुगतान का पता लगने की तिथि	
6.	वसूली आदेश जारी करने की तिथि	
7.	अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वित्तीय कठिनाई का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन की तिथि	
8.	अभ्यावेदन के निपटान की तिथि और उस पर लिया गया निर्णय	
9.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.3.2016 के कार्यालय ज्ञापन (बोर्ड के दिनांक 22.6.2016 के पत्र संख्या 2016/एफ(ई)II/6/3 द्वारा प्रसारित) के अनुसार छूट की श्रेणी	
10.	प्रासंगिक नियम जिसके तहत वेतन निर्धारण या आहरित भत्ते के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ	
11.	क्या रेलवे इस बात से संतुष्ट है कि नुकसान से नियमों या प्रक्रियाओं में कोई दोष प्रकट नहीं होता है या किसी रेलवे कर्मचारी की ओर से कोई गंभीर लापरवाही नहीं हुई है जिसके लिए उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो।	
12.	क्या सेवा पुस्तिका का सत्यापन समय-समय पर किया गया है। यदि हां, तो ऐसे सत्यापन में गलत निर्धारण क्यों नहीं पाया गया?	
13.	आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान इस तरह के गलत निर्धारण का पता क्यों नहीं चला?	